राजस्व वाद 258/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/
बजरंगलाल बनाम् शैतानराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :258/2021

वादीगण–

1. बजरंगलाल पुत्र लालाराम
   जाति–जाट निवासीगण–मेरवास, तहसील–जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. शैतानराम रिणवा पुत्र लालाराम
2. लालाराम पुत्र धनाराम
3. मीरा पुत्री लालाराम
4. सम्पत पुत्री लालाराम
   जातियान–जाट निवासीगण–मेरवास, तहसील–जायल।
5. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 24/11/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा मेरवास ग्राम पंचायत धारणाा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 109 रकबा 1.9182 हैक्टेयर, खसरा नंबर 476/209 रकबा 2.9542 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 349 रकबा 5.2447 हैक्टेयर व मौजा गोठ का खेत खसरा नंबर 256 रकबा 1.9668 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2065 में वाद के पैरा संख्या 2 के (क से घ) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी बजरंगलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 349 रकबा 5.2447 हैक्टैयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी शैतानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 109 रकबा 1.9182 हैक्टेयर पूरा व मौजा गोठ का खेत खसरा नंबर 265 रकबा 1.9668 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 लालाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 476/209 रकबा 2.9542 हैक्टेयर यथावत रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव

24/11/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 24.11.2021 को जरिये अधिवक्ता एवं स्वंय उपस्थिति के साथ प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत धारणा में राजीनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से ईकबाली जबाब पेश किया गया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा व ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं से राजपैरोकार के रूप में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है जिन्होने राजहित सुरक्षित रखते हुवे वाद के मिसल में अनापति जाहिर की है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 5 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह बजरंगलाल पुत्र लालाराम, लालाराम पुत्र धनाराम, सम्पत पुत्री लालाराम के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम मेरवास तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 247 प्रदर्श–1, खाता संख्या 245 प्रदर्श–2, ग्राम गोठ तहसील जायल सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 168 प्रदर्श–3 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज एवं माफिक इस्तदुआ अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा ईकबाली जबाब दिनांक 24.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा ईकबालिया जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा ईकबाली जबाब दिनांक 24.11.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा मेरवास एवं गोठ के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नंबर 349 की खातेदारी वादी बजरंगलाल तथा खसरा नंबर 109, व मौजा गोठ का खसरा नंबर 265 की भूमि की खातेदारी वाद पत्र पैरा संख्या 2 एवं इस्तदुआ एवं राजीनामा अनुसार प्रतिवादी शैतानराम रिणवा तथा मौजा मेरवास का खसरा नंबर 476/209 की खातेदारी यथावत प्रतिवादी संख्या 2 लालाराम के हक बंट कब्जा काश्त में चाही है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा किसी प्रकार की उजर आपति भी प्रस्तुत नहीं की तथा सहमति से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के पक्ष में बंट रखने की सहमति जाहिर की है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखे जाने से मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः मौजा मेरवास के खेत खसरा नंबर 349, 109, 476/209 व मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 265 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 4 को प्रतिवादी संख्या 2 लालाराम पुत्र धनाराम के साथ सहखातेदार घोंषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मेरवास के खेत खसरा नंबर 349, 109, 476/209 व मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 265 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 4 को प्रतिवादी संख्या 2 लालाराम पुत्र धनाराम के साथ सहखातेदार घोंषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी बजरंगलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 349 रकबा 5.2447 हैक्टैयर पूरा रखा गया है।
2. प्रतिवादी शैतानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 109 रकबा 1.9182 हैक्टेयर पूरा व मौजा गोठ का खेत खसरा नंबर 265 रकबा 1. 9668 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 लालाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 476/209 रकबा 2.9542 हैक्टेयर रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है।

निर्णय आज दिनांक 24/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

24/11/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :258/2021

वादीगण–

1. बजरंगलाल पुत्र लालाराम
   जाति–जाट निवासीगण–मेरवास, तहसील–जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. शैतानराम रिणवा पुत्र लालाराम
2. लालाराम पुत्र धनाराम
3. मीरा पुत्री लालाराम
4. सम्पत पुत्री लालाराम
   जातियान–जाट निवासीगण–मेरवास, तहसील–जायल।
5. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हाजरी श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मेरवास के खेत खसरा नंबर 349, 109, 476/209 व मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 265 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 4 को प्रतिवादी संख्या 2 लालाराम पुत्र धनाराम के साथ सहखातेदार घोंषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी बजरंगलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 349 रकबा 5.2447 हैक्टैयर पूरा रखा गया है।
2. प्रतिवादी शैतानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 109 रकबा 1.9182 हैक्टेयर पूरा व मौजा गोठ का खेत खसरा नंबर 265 रकबा 1.9668 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

24/11/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

3. प्रतिवादी संख्या 2 लालाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 476/209 रकबा 2.9542 हैक्टेयर रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 से 4 के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई।

नोट– प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक ...24/11/2021... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...24/11/2021... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner